महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांक—3347/कु0का0/2024 दिनांक—25/04/ 2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक,
समस्त अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध—महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विषयों/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिन महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित विषयों/पाठ्यक्रम की सम्बद्धता 30 जून 2024 को समाप्त हो जायेगी। उन सभी को निर्देशित किया जाता है कि 30 जून 2024 तक स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित विषयों/पाठ्यक्रम में कमियों यथा प्रवक्ता अनुमोदन, प्रबन्ध समिति अनुमोदन इत्यादि को पूर्ण कर सम्बद्धता के निमित विश्वविद्यालय से निरीक्षण मण्डल प्राप्त कर सम्बद्धता प्राप्त कर ले अन्यथा की स्थिति में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विषयों में आगामी सत्र 2024—2025 प्रथम वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय के उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन न किये जाने पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा—37(8) में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता समाप्त हो जायेगी। यदि सत्र 2024—25 में महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में छात्रो का प्रवेश लिया जाता है तो उन छात्रों का विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा नहीं करायी जायेगी। सत्र 2024—25 में पाठ्यक्रम की सम्बद्धता न होने पर विश्वविद्यालय पोर्टल पर आनलाईन प्रवेश पंजीकरण भी सम्भव नही होगा। विना सम्बद्धता एवं विश्वविद्यालय पोर्टल पर आनलाईन प्रवेश पंजीकरण के बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

भवदीय

25.04.24

कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति जी के सादर अवलोकनार्थ।
2. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner